सप्तदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-21.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री नन्द किशोर यादव, स०वि०स० श्री संजय सरावगी, स०वि०स० श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स०वि०स० श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स० श्री बीरेन्द्र कुमार, स०वि०स० श्री राम सिंह, स०वि०स० श्रीमती रेणु देवी, स०वि०स० श्री सत्यदेव राम, स०वि०स०	"बिहार गौशाला एक्ट-1950 (संशोधित) बिहार विनियमावली-1954 के अनुसार सम्पूर्ण बिहार में गौशालाओं के संचालन हेतु प्रबंध समिति का चुनाव कराये जाने की व्यवस्था है । स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं । प्रबंध समिति में सदस्यों के बीच से उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं कार्यसमिति का निर्वाचन किया जाता है । समय पर निर्वाचन नहीं होने के कारण गौशालाओं के रख-रखाव में कठिनाई होती है जैसे-श्रीकृष्ण गौशाला, पटना सिटी का 21 वर्षों से चुनाव नहीं कराया गया है । श्रीकृष्ण गौशाला, पटना सिटी 135 वर्ष पुरानी है । वर्त्तमान में इसके लगभग 800 सदस्य हैं । यहाँ बड़ी संख्या में गौवंश की सेवा होती है । सन् 2002 के बाद से यहाँ चुनाव नहीं हुआ है । विगत् 21 वर्षों में समिति के कई लोगों का निधन हो गया है और कई अशक्त हो गए हैं । वर्ष 2002 एवं 2014 में मतपत्रों द्वारा चुनाव कार्यक्रम तय किया गया, लेकिन 2014 में चुनाव नहीं हो पाया । अत: राज्य के सभी गौशालाओं के रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए श्रीकृष्ण गौशाला, पटना सिटी सहित सभी गौशालाओं के प्रबंध समिति के ससमय चुनाव एवं बेहतर प्रबंधन हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	पशु एवं मत्स्य संसाधन

2. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन, स०वि०स० श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री मुकेश कुमार रौशन, स०वि०स० श्री अजय कुमार, स०वि०स० डॉ० रामानुज प्रसाद, स०वि०स० श्री महबूब आलम, स०वि०स०	"राज्य में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश, आंधी-तूफान एवं ओलावृष्टि के कारण समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, सारण, सुपौल, मोतिहारी, सीतामढ़ी एवं अन्य जिलों में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हुई है जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है । अतः किसानों के फसल की हुई क्षति के लिए मुआवजा का भुगतान हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	आपदा प्रबंधन / कृषि

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-12/2023- 662 / वि०स०, पटना, दिनांक- 20 मार्च, 2023 ई० ।

प्रतिः- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-12/2023- 662 / वि०स०, पटना, दिनांक- 20 मार्च, 2023 ई० ।

प्रतिः- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-12/2023- 662 / वि०स०, पटना, दिनांक- 20 मार्च, 2023 ई० ।

प्रतिः- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग / कृषि विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-12/2023- 662 / वि०स०, पटना, दिनांक- 20 मार्च, 2023 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।